

प्रृष्ठ - 5
(देखिए नियम 31 का उप-नियम (1))
उम्मीदवार की वापसी का नोटिस

----- के लिए निर्वाचन -----
जिला परिषद ----- की वार्ड संख्या -----
पंचायत समिति ----- की वार्ड संख्या -----
ग्रम पंचायत ----- का सरपंच -----
ग्रम पंचायत ----- की वार्ड संख्या -----

निर्वाचन अधिकारी

मैं, ----- पिता/पति का नाम ----- उपर्युक्त निर्वाचन से विधिमान्य रूप से नामांकित रूप से उम्मीदवार इसके द्वारा नोटिस देता हूँ कि मैं अपनी उम्मीदवारी वापिस लेता हूँ।

स्थान -----

तिथि----- विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवार
के हस्ताक्षर

यह नोटिस मेरे कार्यालय मे ----- (बजे) ----- (दिनांक) -----
द्वारा (नाम) उम्मीदवार/उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं द्वारा मुझे सूपुर्द किया गया था।

तिथि-----

निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)

* जो लागू न हो उसे काट दें।

वापसी के नोटिस की रसीद
(नोटिस सूपुर्द करने वाले व्यक्ति को दिया जाना)

उम्मीदवार की वापसी का नोटिस ----- के निर्वाचन में विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा मेरे कार्यालय में ----- (बजे) ----- दिनांक को सूपुर्द किया गया था।

तिथि -----

निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)